

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई 2015—आषाढ़ 18, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. एफ-बी 1-17-2015-2-पांच, (14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 7 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 54-ए-पांच-एस आर, दिनांक 4 जुलाई 1959 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अध्याय-2 में, शीर्षक “भाग-दो अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन” के अधीन, पैरा पन्द्रह में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(3) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के कार्यालय में पदस्थ तथा राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के प्रभारी समस्त अपर आबकारी आयुक्तों को, उनके द्वारा या उनकी पदस्थापनाओं में पदस्थ अधिकारियों द्वारा पता लगाए गए मामलों के संबंध में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 48 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन कलक्टर को प्रदत्त शक्तियों के समान शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. बी 1-17-2015-2-पांच, (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 1-17-2015-2-पांच, (14), दिनांक 9 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th July 2015

No. F-B-1-17-2015-2-V (14).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 7 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. 54-A-V-SR. dated the 4th July, 1959, namely:—

AMENDMENT

In the said notification in chapter-2, under the heading "Section II Delegation of powers to officers", in para XV, after clause (2) the following clause shall be added, namely:—

"(3) All the Additional Excise Commissioners posted in the office of Excise Commissioner and in-charge of the state flying squad are hereby appointed to exercise concurrently the powers conferred on the Collector under clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 48 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915, in respect of cases detected by them or officers posted to their establishments."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.